Central Goods & Services Tax Act, 2017

¹Section 51: Tax deduction at source

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Government may mandate,—
 - (a) a department or establishment of the Central Government or State Government; or
 - (b) local authority; or
 - (c) Governmental agencies; or
 - **(d)** such persons or category of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council,

(hereafter in this section referred to as "the deductor"), to deduct tax at the rate of one per cent. from the payment made or credited to the supplier (hereafter in this section referred to as "the deductee") of taxable goods or services or both, where the total value of such supply, under a contract, exceeds two lakh and fifty thousand rupees:

Provided that no deduction shall be made if the location of the supplier and the place of supply is in a State or Union territory which is different from the State or as the case may be, Union territory of registration of the recipient.

Explanation—For the purpose of deduction of tax specified above, the value of supply shall be taken as the amount excluding the central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess indicated in the invoice.

- (2) The amount deducted as tax under this section shall be paid to the Government by the deductor within ten days after the end of the month in which such deduction is made, in such manner as may be prescribed.
- ²[(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed.]
- **(4)** ³[****]

Section 51 has been brought into force w.e.f. 01-10-2018 by Noti. No. 51/2018—Central Tax, dt. 13-09-2018.

Sub-section (3) substituted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;(3) The deductor shall furnish to the deductee a certificate mentioning therein the contract value, rate of deduction, amount deducted, amount paid to the Government and such other particulars in such manner as may be prescribed."

Sub-section (4) omitted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020. Earlier to omission it read as under:

[&]quot;(4) If any deductor fails to furnish to the deductee the certificate, after deducting the tax at source, within five days of crediting the amount so deducted to the Government, the deductor shall pay, by way of a late fee, a sum of one hundred

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (5) The deductee shall claim credit, in his electronic cash ledger, of the tax deducted and reflected in the return of the deductor furnished under subsection (3) of section 39, in such manner as may be prescribed.
- (6) If any deductor fails to pay to the Government the amount deducted as tax under sub-section (1), he shall pay interest in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 50, in addition to the amount of tax deducted.
- (7) The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in section 73 or section 74.
- (8) The refund to the deductor or the deductee arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt with in accordance with the provisions of section 54:

Provided that no refund to the deductor shall be granted, if the amount deducted has been credited to the electronic cash ledger of the deductee.

rupees per day from the day after the expiry of such five days period until the failure is rectified, subject to a maximum amount of five thousand rupees."

¹धारा 51 : स्त्रोत पर कर कटौती

- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार,—
 - (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को; या
 - (ख) स्थानीय प्राधिकारी को; या
 - (ग) सरकारी अभिकरणों को; या
 - (घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

(जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''कटौतीकर्तां'' कहा गया है), कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''ऐसा व्यक्ति, जिससे कटौती की गई है'' कहा गया है) को किए संदाय या दिए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसी पूर्ति का कूल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, के एक प्रतिशत् की दर से कर कटौती करने का आदेश सकेगी:

परन्तु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है, जो यथास्थिति, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है।

स्पष्टीकरण — ऊपर विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए पूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के जिसमें ऐसी कटौती की गई है, अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा।
- ²[(3) स्त्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।]
- (4) ³[.....]

-/ L.....

¹ धारा 51 को अधिसूचना क्रमांक 51 / 2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 13.09.2018 द्वारा दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील किया गया।

² वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा उपधारा (3) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

[&]quot;(3) कटौतीकर्ता को ऐसे व्यक्ति जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।"

³ वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा उपधारा (4) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 92/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2022 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी:

[&]quot;(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, की स्त्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात, सरकार के पास इस प्रकार कटौती की गई रकम को जमा करने के पांच दिन के भीतर उसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की अवधि के अवसान के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक

- (5) ऐसा व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, अपने इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में कटौती किए गए और धारा 39 उपधारा (3) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा।
- (6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा।
- (7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।
- (8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय करने के संबंध में धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही की जाएगी:

परन्तु कटौतीकर्ता को कोई प्रतिदाय अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम का, ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, के इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में प्रत्यय कर दिया गया है।

नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए एक सौ रूपए की राशि का संदाय करेगा।"